सं0-23/2016/301/12-3-2016-100(10)/2014

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 10 मार्च, 2016**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान की योजना (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-एस.एफ./1243टी/जी-08/2015-16 सोलर पम्प, दिनांक 24.02.2016 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-3459/12-3-2014-100(10)/2014, दिनांक 14.01.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान की योजना (राज्य सेक्टर) के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु रू0-1260000 हजार (रू0 एक अरब छब्बीस करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश, बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी है उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा। दूसरी किश्त का आहरण प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने के उपरान्त किया जायेगा।

4- योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या-3459/12-3-2014-100(10)/2014, दिनांक 14.01.2015 द्वारा निर्गत प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार अनुमोदित कार्यो/मदों पर/कार्ययोजना के अनुसार ही व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत भारत सरकार से नवीन एवं वैकल्पिक उर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु आवंटित लक्ष्य के अनुरूप 1800 वॉट (2एच.पी.) सरफेस सोलर पम्प, 3000 वॉट (3 एच.पी.) सबमर्सिबल सोलर पम्प और 4800 वॉट (5 एच.पी.) सबमर्सिबल पम्प पर देय 30 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त होगी। योजनान्तर्गत 1800 वॉट (2 एच.पी.) सरफेस सोलर पम्प एवं 3000 वॉट (3 एच.पी.) सबमर्सिबल पम्प पर 45 प्रतिशत का और 4800 वॉट (5 एच.पी.) सबमर्सिबल पम्प पर 20 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प 1800 वॉट (2 एच.पी.) सरफेस पम्प, 3000 वॉट (3 एच.पी.) समरसेबुल पम्प एवं 4800 वॉट (5 एच.पी.) समरसेबुल क्षमता के सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को दिये जायेंगें। लघु एवं सीमान्त कृषकों की अनुपलब्धता होने पर 4800 वॉट के सोलर इरीगेशन पम्प अन्य कृषकों को भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। 5 एच.पी./4800 वॉट के सोलर इरीगेशन पम्पों की संख्या कुल पम्पों की संख्या के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

6- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

7- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्र्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

9- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने एवं शासनादेश संख्या-ए-1 -285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय।

10- उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए मा. मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है। उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। योजना की प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

12- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के "लेखाशीर्षक- 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-113-कृषि इंजीनियरी-05 सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान की योजना के अन्तर्गत मानक मद 27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015, दिनांक 30.03.2015 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल **)**
विशेष सचिव।

<u>सं0-301(1)/12-3-2016-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
5- अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र), कृषि भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
7- संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन) कृषि भवन, लखनऊ।
8- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय **)**
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in